

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4647/2008

1. श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री दुर्गा प्रसाद व्यास, आयु 61 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 10-11, महेश कॉलोनी-11, जगतपुरा, जयपुर।

—अपीलार्थिया

विरुद्ध

1. मदन लाल पुत्र श्री भैरूराम, निवासी मकान नं. 405, विवेक विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर। (चालक स्कूटी संख्या आर.जे.-20-1एम-0008)

2. आनन्द प्रकाश पुत्र ओ.पी.जोशी, निवासी म.नं. एसबी-28, सन्तोकबा दुर्लभजी अस्पताल के सामने, जयपुर। (स्वामी-होण्डा स्कूटी संख्या आर.जे.-29-टी-0321)

3. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं.लि., जयपुर (बीमा कंपनी होण्डा स्कूटी संख्या आर.जे.-20-1एम-0008)

—प्रतिवादीगण

For Appellant(s)	: Mr. Ram Sharan Sharma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Ajay Kumar Tanenia, Adv. (For Insurance Company)

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

08/12/2025

1. अपीलार्थिया श्रीमती चमेली देवी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं राजस्थान राज्य सहकारी अधिनियम, जयपुर (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा क्लेम याचिका संख्या-40/2005, श्रीमती चमेली बनाम मदनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थिया श्रीमती चमेली देवी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, स्वयं के मोटर वाहन दुर्घटना में आहत हो जाने के फलस्वरूप कुल 6,23,000/- रुपये क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान

अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में अपीलार्थिया को कुल 70,000/— रुपये की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज 6 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थिया की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का तर्क रहा कि विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को आय की क्षति की मद में कोई भी क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलवाई जाकर त्रुटि कारित की गई है, जबकि अपीलार्थिया वक्त घटना गृह कार्य कर अपना जीवन यापन करती थी तथा उसकी कोई निश्चित आय नहीं थी, किन्तु जिन व्यक्तियों की कोई निश्चित आय नहीं हो, उनकी आय न्यूनतम मजदूरी के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थिया का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य की प्रत्याशा की मद में, शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में तथा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में भी समुचित राशि नहीं दिलवाई है तथा अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थिया के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थिया की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 40 प्रतिशत की स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. Reported in (2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :—

"12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."

"13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"

"15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 22.09.2003 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थिया को 61 वर्ष की आयु का होना बताते हुए गृहणी का कार्य करना बताया गया है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को आय की क्षति के मद में गुणक के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलवाई जाकर शारीरिक व मानसिक उत्पीडन, भविष्य में इलाज हेतु आय की हानि, पौष्टिक आहार एवं अस्पताल आवागमन इत्यादि के पेटे एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। यहां यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में आहत की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां उसे दैनिक वेतन भोगी मजदूर की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से उसकी आय निर्धारित की जाएगी। ऐसी स्थिति

में यह न्यायालय अपीलार्थिया के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे कुशल श्रमिक होना मानते हुए घटना की तिथि दिनांक 22.09.2003 को दृष्टिगत रखते हुए उसकी आय निर्धारित किया जाना उचित समझती है। वर्ष 2003 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गयी है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999 के पश्चात् वर्ष 2004 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गयी है। वर्ष 1999 में कुशल श्रेणी के मजदूर की दैनिक आय 60/- रुपये प्रतिदिन तथा वर्ष 2004 में 73 रुपये प्रतिदिन रही है। ऐसी स्थिति में हम, वक्त घटना अपीलार्थिया की दैनिक आय 70/- रुपये, तदनुसार मासिक आय $70 \times 30 = 2,100/-$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। वक्त घटना अपीलार्थिया को 61 वर्षीय स्वनियोजित व्यवसायी होना बताया गया है। जहां तक अपीलार्थिया की उक्त मासिक आय पर भविष्य वृद्धि किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य: (2017) 16 एस.सी.सी. 680** में केवल मात्र 60 वर्ष तक के आयु तक के व्यक्तियों की आय में भविष्य वृद्धि किये जाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया की 61 वर्ष की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी मासिक आय में भविष्य वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थिया के बांये पैर के कूल्हे की हड्डी का अस्थिभंग होना जाहिर है। जिसके सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थिया के शरीर में कुल 40 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण-पत्र प्रदर्श-ए13 के अवलोकन से स्पष्ट है। तदनुसार अपीलार्थिया की मासिक आय 2,100/- रुपये का 40 प्रतिशत 840/- रुपये होती है, जो अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थिया की आयु 61 वर्ष होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति

की गणना हेतु अपीलार्थिया की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 7 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है। तदनुसार अपीलार्थिया को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति $840 \times 12 \times 7 = 70,560/-$ रुपये होती है, जो अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 12,500/- रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना उचित हैं। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थिया के शरीर पर आई स्थाई निर्योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में अपीलार्थिया को 40,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में भी 10,000/- रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाई गयी है, जिसमें बढ़ोतरी किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः भविष्य में होने वाली सुख-सुविधा की कमी के मद में हम, अपीलार्थिया को 40,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

11. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को पौष्टिक आहार एवं अस्पताल आने-जाने में व्यय हुई राशि के मद में एकमुश्त 1477/- रुपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त मदों में हम अपीलार्थिया को पृथक-पृथक राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम पौष्टिक आहार की मद में अपीलार्थिया को 5,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को अस्पताल आने-जाने हेतु परिवहन एवं यातायात पर व्यय हुई राशि के मद में पृथक से कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। ऐसी स्थिति में हम, अपीलार्थिया को परिवहन एवं यातायात पर खर्च हुई राशि के मद में 5,000/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थिया 22 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही है। किन्तु उक्त मद में कोई राशि विद्वान

अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को नहीं दिलवाई गयी है। अतः घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थिया को इस मद में हम 400/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कुल 8,800/- रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थिया को इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में 46,023/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थिया को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थिया को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थिया करीब चार माह तक कार्य करने में असमर्थ रही होगी। ऐसी स्थिति में हम चार माह की आय की हानि के मद में $2,100 \times 4 = 8,400$ /- रुपये की राशि अपीलार्थिया को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. उक्तानुसार अपीलार्थिया/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	70,560/- रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	40,000/- रुपये
3.	भविष्य की सुख-सुविधा की कमी के मद में	40,000/- रुपये
4.	पौष्टिक आहार की मद में	5,000/- रुपये
5.	अस्पताल आवागमन की मद में	5,000/- रुपये
6.	22 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	8,800/- रुपये
7.	इलाज पर खर्च हुई राशि के मद में	46,023/- रुपये
8.	अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान चार माह की आय की हानि के मद में	8,400/- रुपये
9.	इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि	2,23,783/- रुपये
10.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	70,000/- रुपये
11.	बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर	1,53,783/- रुपये

17. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थिया/क्लेमेंट को

70,000/- रुपये दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर 2,23,783/- रुपये का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जावेगी। अपीलार्थिया द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी पाई जाती हैं।

18. इस आदेश द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थिया, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने की अधिकारी हैं।

19. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

20. आदेश की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

21. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J